तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
8/10/2024	पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। अपीलांट वकील उपस्थित। अपील पर पूर्व में बहस एकपक्षीय सुनी गई थी। रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध बावजूद तामील अनुपस्थिति के कारण दिनांक 23.09.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि 530/2367, 884/2339, 901, 912, 1219, 1220, 1222/2364, 1223, 1224, 1225, 1226, 1229, 1263/2320, 1264/2321, 1268/2322, 1316, 1808, 2054, 2055, 2056, 2064, 2065, [illegible]66, 2154, 2174, 2174/2470 कुल किता 26 [illegible] रकबा 12.0400 है0 वाके ग्राम कावड के [illegible]तेदार रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के पिता श्योजी [illegible] रामफूल मीना निवासी कावड तहसील चौथ का [illegible]वाड़ा जिसमें उसका 1/6 हिस्सा था, में से [illegible]/12 हिस्सा अर्थात आधा हिस्सा जरिये विक्रय [illegible] दिनांक 08.02.2018 को खरीद कर दिनांक 04 [illegible].2018 को उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्टर्ड करवाकर मौके पर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.05.2018 के आधार पर अपीलांट ने अपने नाम नामान्तरकरण तस्दीक करवाने हेतु पटवारी हल्का को विक्रय पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 893 दिनांक 04.03.2024 को भर दिया परन्तु तकनीकी कारणों से उक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत हो गया, जिसका नोट जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में अंकन हो गया। उक्त अस्वीकृत नामान्तरकरण का नोट गलत अंकित कर दिए जाने से अपीलांट के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की गई उक्त भूमि का उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं हो पा रहा है, जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर सरपंच द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने का स्पष्ट अंकन है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण पर तकनीकी कारणों से अस्वीकृति का नोट हटाया जाकर नामान्तरकरण जेरे बहस स्वीकृत योग्य है। इस प्रकार अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या	

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.10.22 14:15:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस तामीर में ...
	893 दिनांक 29.02.2024 वाके ग्राम कावड, तहसील चौथ का बरवाड़ा में दर्ज अस्वीकृति का नोट हटवाया जाकर पुनः नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा द्वारा प्रकरण में अपने पत्रांक 1542 दिनांक 26.07.2024 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया है, जो निम्नानुसार है:- 1. यह है कि आवेदक ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 04.05.2018 को राजस्व ग्राम कावड में श्योजी पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी कावड से भूमि क्रय की थी। 2. यह है कि मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आवेदक लाखन्ती देवी पत्नि हरकेश मीना निवासी बोरिफ ने राजस्व ग्राम कावड़ के आराजी खसरा नंबर 1219 रकबा 0.02, 1220 रकबा 1.52, 1222/2364 रकबा 0.10, 1223 रकबा 0.46, 1224 रकबा 0.43, 1225 रकबा 0.01, 1226 रकबा 0.48, 1229 रकबा 1.62, 1263/2320 रकबा 0.03, 1262/2321 रकबा 0.03, 1268/2322 रकबा 0.03, 1316 रकबा 0.08, 1808 रकबा 0.68, 2054 रकबा 0.10, 2055 रकबा 0.41, 2056 रकबा 0.15, 2064 रकबा 0.36, 2065 रकबा 0.02, 2066 रकबा 0.36, 2154 1.61, 2174 रकबा 2.62, 2174/2470 रकबा 0.01, 530/2367 रकबा 0.06, 884/2339 रकबा 0.04, 901 रकबा 0.24, 912 रकबा 0.57 किता 26 रकबा 12.04 है0 में से श्योजी पुत्र रामफूल के कुल हिस्सा 1/6 में से 1/2 भाग यानि कुल रकबा का 1/12 हिस्सा क्रय किया गया है। 3. यह है कि श्योजी पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी कावड के फोत होने पर विरासत का नामान्तरकरण दर्ज हो जाने के कारण वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा नंबरान में मृतक खातेदार श्योजी के वारिसान के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। 4. यह है कि आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु तहसील कार्यालय, चौथ का बरवाड़ा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसील कार्यालय, चौथ का बरवाड़ा के आदेश क्रमांक	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.10.22 14:15:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म नंबर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मु.अपी./2024/679 दिनांक 29.02.2024 को पारित से पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 893 दर्ज किया जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत जौला द्वारा अपनी टिप्पणी में **'ग्राम पंचायत में स्वीकृत किया जाता है'** अंकित है, परन्तु नकल जमाबंदी खाता संख्या 201 एवं 336 में निरस्त नामान्तरकरण संख्या 893 दिनांक 20.03.2024 अंकित है, जिस कारण उक्त नामान्तरकरण का अमल नहीं हो पाया। [illegible] पंजीकृत विक्रय पत्र क्रेता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की अभिलाषा की गई है। [illegible] अपीलांट के विद्वान वकील की बहस पर [illegible] किया तथा अपीलांट वकील द्वारा प्रस्तुत [illegible] एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया। [illegible] संख्या 893 पर ग्राम पंचायत द्वारा [illegible] पंचायत/राजस्व अधिकारी की जांच रिपोर्ट [illegible] पंचायत की मिटिंग में स्वीकृत किया जाता है, [illegible] टिप्पणी की गई है, परन्तु जमाबंदी में उक्त नामान्तरकरण की निरस्ती का नोट अंकित हुआ है। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 893 दिनांक 20.03.2024 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया था, परन्तु तकनीकी कारणों से जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 201 में निरस्ती का नोट अंकित हो गया है, जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं नामान्तरकरण संख्या 893 दिनांक 20.02.2024 एवं उक्त नामान्तरकरण के जमाबंदी में निरस्त किये जाने के नोट को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे जांच कर पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करे। निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Sd/- **उपखण्ड अधिकारी** **चौथ का बरवाड़ा**	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सत्यमेव जयते, चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.10.22 14:15:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner